

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला (सीकर)

उपनाम..... राजकुमार बनाम अग्निधारी
 किस्म मुकदमा..... दावा मुकदमा नं. 1 सन् ~~2019~~
 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
26/12/19	<p>वादी की ओर से वकील श्री बनवारीलाल जागुं ने वाद पत्र पेश किया। विपक्ष को सूचना दी गयी। वाद पत्र दर्ज नष्ट 0 किया जाये प्रतिपक्ष को अतिरिक्त समस्त तालिम किया जाये किताब डिमांड 31/12/19 को पेश हो।</p> <p>31/12/19 वकील वादी हाजिरा तालिम लोकर आयी। 10 लाख अन्य कर्ष में वाद प्रतिपक्ष वादों को तालिम डिमांड 31/12 को पेश हो।</p> <p>31/12 अगली पेश हुई। वकील वादी हाजिरा। प्रतिपक्षी लण। वाव 39 समस्त तालिम अनुपस्थित रहे मतः इतके विरुद्ध एक तरफ का कार्य ही समस्त में लागू जाती है। पत्रवाली पर कथन वकील वादी सुनी गयी। वकील वादी</p>	<p>5322 26/12/2019</p>



ने प्रसंगत मामिलों के सम्बन्ध में अपना सही नाम रामकुमार पुत्र जमनाराम हुक्म करवाने का अधिकारी है। प्राचीन वादी के अभाव में अपने सही नाम रामकुमार पुत्र जमनाराम के अभाव में पिता का नाम वादी हुक्म करवाने का अधिकारी है अतः वादी का वाद पर विचार करने पर सुनाई अनुसंधान किया जाकर सिद्ध किया जाता है कि:-

आदेश

राजसू ग्राम में दो ठाणी पं० न० 3612 रकबा 0.74 है के 1/4 भाग में व ख० न० 3605 रकबा 0.32 है के 1/4 भाग में व ख० न० 3472, 3606, 3610, 3789 किलो 4 कुल रकबा 2.33 है के 1/4 भाग में व ख० न० 3611 रकबा 1.18 है के 1/4 भाग में वादी का नाम रामकुमार पुत्र जमनाराम के स्थान पर रामकुमार पुत्र जमनाराम दर्ज किया जावे एवं ग्राम कंठपुरा पं० न० राजसू तहसील खण्डेला जिला सीकर राजसू के कुछि भूमि ख० न० 131 ता 136 किलो-6 कुल रकबा 2.87 है के 1/36 भाग में व ख० न० 121 ता 130, 137 ता 140 किलो 14 कुल रकबा 8.79 है के 1/72 भाग में व ख० न० 118 रकबा 0.43 है के 1/6 भाग में वादी का नाम रामकुमार पुत्र जमनाराम (जमन) के स्थान पर रामकुमार पुत्र



हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

संख्या व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

अमनाराम दर्ज करे तथा रामराम राम हाथोलाई
के कृषि भूमि खण्ड-1 रकबा 3.53 ई० के
1/2 भाग में वादी का नाम रामसुमार पुत्र
अमनाराम से बनाये रामसुमार पुत्र अमनाराम
कुमार लिखा जाये तथा सभी मउला वादी के
लिखित हिसा की उक्त राणाव रिकार्ड में
दुमली लिखा जाये रसीनामित लिखी जाये ही
पकावली फ़ैसल सुमार होमे नमक ले कर
हो काट तकनीक दायिग्य पत्र (ही)

(^{द्वारा}बनाया/लिखा) (10/10)

RPS
उपस्थित अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

डिक्री मुकदमा इक्टदाई

(ओ 20 रूत 8-7 जाका दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला

बजलारा श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)

नामकुमार पुत्र जमनाराम जाति गुजर नि० मैदरो की टाणी वट्ट
खण्डेला जिला सीकर राज० (वादी)

बनाम

श्रीमिधारी तटमीलदार खण्डेला जिला राज०

दावा बाबत दुकली रिपोर्ट

मुकदमा नं०सन्

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुवरु श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व हाजिरी श्री कनवारीलाल जागु एडवोकेट मिनजानिव मुद्दई रुवरु श्री मिनजानिव मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजकुमार मैदरो की टाणी प० ग० दामरा तटमीलदार खण्डेला जिला सीकर राज० की बुद्धि प्रति ख० न० 3612 रक्का 0.74 ई० के 1/2 भाग में व ख० न० 3605 रक्का 0.32 ई० के 1/2 भाग में व ख० न० 3472, 3606, 3610, 3789 किरा 4 कुल रक्का 2.33 ई० के 1/2 भाग में व ख० न० 3611 रक्का 1.18 ई० के 1/2 भाग में वादी का काम रामकुमार पुत्र जमन उर्फ जमन के स्वाम पर रामकुमार पुत्र जमनाराम दर्ज किया जाते एवं जाम कबेटपुरा प० ई०

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा
इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09 माह 01 सन 2020 को जारी की गई।

दस्तखत.....
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

शैमल तटमील खण्डेला जिला सीमा राज० के कृषि भूमि
 ख० न० 131 वा 136 वि०-6 कुल रकबा 2.87 ई०
 के 1/3 भाग में व ख० न० 121 वा 130, 137 वा 140
 वि०-14 कुल रकबा 8.79 ई० के 1/2 भाग में व
 ख० न० 118 रकबा 0.43 ई० के 1/6 भाग में वादी
 का नाम रामकुमार पुत्र जमनाराम (जमन) के पत्नी
 पर रामकुमार पुत्र जमनाराम दली करे तथा राजा
 ग्राम अगलोरी के भूमि ख० न० 1 रकबा 3.53 ई०
 के 1/6 भाग में वादी का नाम रामकुमार पुत्र
 जमनाराम के वजाय रामकुमार पुत्र जमनाराम हुसैन
 भिया जसे। तथा इसी अनुदान वादी के विधि से दिसा
 की उक्त राजा रिकार्ड में हुसैन भिया जसे)

(^{dr}रणजीत सिंह)

PNB
 उपसहाय अधिकारी
 खण्डेला (सीकर)